| प्रेस नोट–229 / 2026 |
| --- |
| दिनांक 27.04.2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की वाराणसी इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 27.04.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की वाराणसी इकाई** द्वारा श्रीमती पुष्पा देवी निवासी देवरिया थना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर से डेयरी उद्योग हेतु लोन पास कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री मैनेजर सिंह के नेतृत्व में कार्यालय उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योगबोर्ड गाजीपुर से **1-वरिष्ठ सहायक दीपनारायण सिंह (उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड गाजीपुर)** पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र सिंह निवासी कोडरा थाना कासिमाबाद गाजीपुर **2-शहनवाज (प्राइवेट वाहन चालक)** पुत्र स्व0 मु0 सुबहाँन निवासी गोराबाजार थाना कोतवाली गाजीपुर को **16 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

| |
|---|
| प्रेस नोट–230/2026 |
| दिनांक 27.04.2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद बांदा/थाना मटौंध

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 10 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 26/27.04.2026 की रात्रि थाना मटौंध पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गवाईन नाला के पास से अभियुक्त जागेन्द्र उर्फ गजोधर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 10 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.04.2026 को थाना मटौंध क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बांदा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–जागेन्द्र उर्फ गजोधर निवासी मोहनपुरवा थाना मटौंध जनपद बांदा।

**<u>बरामदगी</u>**

1–लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 10 हजार रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना बहजोई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना बहजोई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सचिन उर्फ बन्टी को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना गजरौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना गजरौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376/504 भादवि व 5जे(2)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोहसिन को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 07–07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–दिनेश 2–रामरतन 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के कारावास व 07–07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना हरियावाँ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना हरियावाँ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मंशाराम को 10 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————